।। कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर ।।

क्रमांक एफ()सर्वे/ उवससी/2018/16790

दिनांक :- 18 . 6 . 2 = 18

निमित्त :- उप वन संरक्षक

सूचना एवं प्रौद्योगिकी

राज. जयपुर ।

विषय: अतिक्रमण प्रकरणों को ऑन लाईन दर्ज करने पर आ रही कठिनाईयों के संबंध में ।

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय द्वारा दि. 5—6—2018 को वन मण्डलाधीन रेंज पाटन में दर्ज 5 अतिक्रमण प्रकरणों को ऑन लाईन दर्ज करने पर निम्नानुसार कठिनाईयां सामने आई है :—

- 1. Encroahment Registration करने पर एक कॉलम में LR Act लिखा गया है वहां पर 91 लिखने के बाद Submit करने पर उक्त कॉलम बाद में LR Act Mukadma No. में बदल जाता है । जबिक मुकदमा नम्बर वन मण्डल स्तर पर सहायक वन संरक्षक द्वारा दिया जाता है ।
- 2. Encroahment Registration करने के बाद Edit करने का Option भी होना चाहिये ।
- 3. Encroahment Registration करने के बाद Encroahment Assignment में यह नहीं पता चलता कि कौनसा प्रकरण किस व्यक्ति से संबंधित है । जिसके कारण Investigation Details Form भरने में परेशानी होती है । अतः यहां पर अतिक्रमी का नाम भी प्रदर्शित होना चाहिये ।
- 4. Investigation Details Form भरने पर निम्नानुसार कठिनाईयां सामने आई जिसके कारण उक्त फॉर्म भरा नहीं जा रहा है :—
 - A- Rate of Lagan में The value must be greater than 0 आवश्यक है । परन्तु लगान दर 2 रू. प्रति है. होने पर 0.0490 है. क्षेत्र की वैल्यू 0.098 (2x0.0490=0.098) होती है, जिसे सिस्टम में स्वीकार नहीं किया जाता है ।
 - B- Notification Date 2008 से पहले की प्रदर्शित नहीं हो रही है, जबकि वन क्षेत्र का नोटिफिकेशन 1964 में ही हो रखा है ।
 - C- Actual Encroahment Area (hect) में The value must be greater than 0 प्रदर्शित होती है जबकि अतिकमित क्षेत्र 0.0490 है. क्षेत्र ही है, जो उक्त कॉलम में दर्ज नहीं होता है ।

इस संबंध में सोफ्टवेयर का कार्य देख रहे श्री अमित राजपूत से भी दूरभाष पर वार्ता कर कठिनाईयों के संबंध में अवगत कराया गया है । अतः कृपया उक्तानुसार संशोधन करवाने की कृपा करें ताकि अतिक्रमण प्रकरणों को ऑन लाईन इन्द्राज किया जा सके ।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा) उप वन संरक्षक,